न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 55/2012 जिला दौसा।

रामनिवास पुत्र किलाण, जाति मीणा, निवासी बोरोदा, तहसील व जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. कल्याणी पुत्री रामदेव पत्नी बसन्तीलाल शेखावाला, जाति मीना, निवासी बोरोदा बासड़ी, तहसील व जिला दौसा ।
2. तहसीलदार, तहसील दौसा, जिला दौसा ।
3. मोहनलाल पुत्र सोनीराम | जाति मीना, निवासी ग्राम थली,
4. भोमाराम पुत्र सोनीराम | तहसील जमवारामगढ,
5. जगदीश पुत्र सोनीराम | जिला जयपुर ।
6. श्रीमती कैलाशी पत्नी जगदीश, जाति मीना, निवासी सीतापुरा वाले की ढाणी, दौसा, तहसील व जिला दौसा ।
7. श्रीमती बाई पत्नी प्रभुराम, जाति मीना, निवासी गोपालपुरा, तहसील थानागाजी, जिला अलवर ।
8. जगदीश पुत्र छाजू (मृतक) के बजाय :–

8/1. शम्भू पुत्र जगदीश
8/2. लाली पत्नी जगदीश
8/3. कालू पुत्र जगदीश
8/4. कृष्ण कुमार पुत्र जगदीश नाबालिग जरिये वली माता लाली पत्नी जगदीश समस्त जाति मीना, निवासी झेरा, तहसील व जिला दौसा ।

9. हरिनारायण पुत्र छाजू, जाति मीना, निवासी झेरा, तहसील व जिला दौसा ।

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला कलेक्टर, दौसा दिनांक 26.12.2011 अंतर्गत धारा 76 (सी), भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री सतीश पारीक ।
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री परसराम चौधरी ।

निर्णय

दिनांक– 24.12.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 26.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है –

यह कि ग्राम बासडी कलॉ (बोरोदा), दौसा में स्थित आराजी खसरा नं. 434 रकबा 0.34, 449 रकबा 0.16, 450 रकबा 0.82, 458 रकबा 0.90, 459 रकबा 0.80, 523 रकबा 0.35, 524 रकबा 0.21 कुल किता 7 कुल रकबा 2.86 है0 के 1/2,

आराजी खसरा नं. 517 रकबा 0.06, 527 रकबा 0.80 कुल किता 2 कुल रकबा 0.14 है0 के हिस्से 25/192 में से 1/2 हिस्से का खातेदार रामदेवा पुत्र चंदा, जाति मीना था । इसी ग्राम के आराजी खसरा नं. 484 रकबा 0.06 है0 की खातेदारी रामदेवा के नाम थी । उक्त भूमि का खातेदार रामदेवा दिनांक 24.2.92 को फोत हो गया और उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 93 दिनांक 18.3.99 को कल्याणी पुत्री रामदेवा के नाम भरकर तहसीलदार दौसा द्वारा स्वीकार किया गया । लेकिन बाद में दिनांक 7.1.2002 को नामांतरकरण पर टिप्पणी अंकित की गई कि "नामांतरकरण पर अंकित टिप्पणी के अनुसार न्यायालय में वाद लम्बित है तथा स्थगन है, खारिज किया जाता है ।"

उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर कल्याणी पुत्री रामदेवा द्वारा न्याायालय जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 24.10.2011 को प्रस्तुत की गई, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2011 द्वारा विवादित भूमि के खातेदार की मृत्यु के पश्चात रामदेवा की पुत्री कल्याणी के नाम नामांतरकरण भरकर गिरदावर हल्का के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । गिरदावर हल्का द्वारा जॉच कर "शामिल रहे" का नोट अंकित किया गया । उक्त तहसीलदार लवाण द्वारा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन व स्थगन होने से नामांतरकरण को खारिज किया गया । समस्त कार्यवाही का अंकन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है । राजकीय अधिवक्ता द्वारा किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन न होने के लिये अपीलांट को प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । अपीलांट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया । विवादित भूमि से संबंधित किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं होना अंकित किया है । अपीलांट द्वारा किया गया प्रमाण पत्र नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा है जो पत्रावली पर उपलब्ध है । प्रकरण रिमाण्ड योग्य होने से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार दौसा को प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की सत्यता व उत्तराधिकारी की जॉच कर संबंधित पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।

जिला कलेक्टर दौसा के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर उक्त अपीलान्ट रामनिवास पुत्र किलाण द्वारा यह द्वितीय अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 4.12.2012 को प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 26.12.11 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व उसके पिता का विवादित भूमि से कोई वास्ता नहीं है विवादित भूमि चन्द्रा पुत्र नन्दा मीना की खातेदारी की थी । चन्द्रा पुत्र नन्दा मीणा से रेस्पोडेंट सं. 1 के पिता रामदेवा मीना का कोई वास्ता नहीं रहा । रामदेवा, चन्द्रा पुत्र नन्दा मीना का पुत्र नहीं था । चन्द्रा पुत्र नन्दा मीना के दो पुत्र किलाण व प्रभात थे । जिनमें से प्रभात, भूरा के गोद चला गया था तथा चन्द्रा की तीन पुत्रियां भौंरी, तीजा व फूला थी । रामदेवा ने गुपचुप तरीके से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर चन्द्रा का पुत्र बनकर विवादित भूमि की खातेदारी में दर्ज करा लिया । इसके पश्चात् रामदेवा की पुत्री कल्याणी द्वारा अपीलांट को भूमि विक्रय करने की धमकी देने पर अपीलांट के पिता किलाण ने उप जिला कलेक्टर, दौसा के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया था जिस पर उप खण्ड अधिकारी ने दिनांक 17.3.1999 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर आगामी तीख पेशी 7.4.99 तक विवादित भूमि का बेचान नहीं करने तथा भूमि के राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखे जाने का स्थगन आदेश पारित किया था तथा उप खण्ड अधिकारी दौसा ने आदेश दिनांक 16.6.2000 द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी टी.आई. (अस्थाई निषेधाज्ञा) दिनांक 17.3.1999 ताफैसला वाद कनफर्म (पुष्ट) की गई थी । उनका यह भी कहना था कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाये बिना व सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करा लिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारों के मध्य यदि सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन हो तो नामांतरकरण जैसी सरसरी कार्यवाही की वाद के निर्णय तक स्थगित रखी जानी चाहिये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू को भी नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील 9 वर्ष 10 माह के विलम्ब से प्रस्तुत हुई थी तथा विलम्ब का कारण ही उपयुक्त नहीं था । जबकि रेस्पोडेंट को प्रश्नगत नामांतरकरण की जानकारी प्रारंभ से ही थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने व दावे के लम्बित रहते नामांतरकरण की कार्यवाही करने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध व विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार रामदेवा पुत्र चन्द्रा था रामदेवा की मृत्यु होने के पश्चात् उसकी विरासत का नामांतरकरण रामदेवा की पुत्री रेस्पोडेन्ट सं. 1 कल्याणी के नाम भरा जाकर तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसे बाद में वाद के लंबित रहने व स्थगन होने के कारण खारिज कर दिया गया । रेस्पोडेंट सं. 1 कल्याणी ही मृतक खातेदार रामदेवा की जायन्दा पुत्री होने से हिन्दू उत्तराधिकार

अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिक वारिस है । यदि अपीलान्ट्स का विवादित भूमि के संबंध में कोई अधिकार बनता है तो वह विचाराधीन वाद में तय होगा । चूंकि नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र भू–राजस्व की देयता के राजस्व अभिलेख में पृविष्टियों की एक मात्र प्रकिया है, जिससे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से रेस्पोडेन्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की सत्यता व उत्तराधिकारी की जॉच कर संबंधित पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया गया था जो उचित एवं विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । पक्षकारान के मध्य विवाद, विवादित भूमि के खातेदार रामदेवा की विरासत के नामांतरकरण के संबंध में है । तहसीलदार दौसा द्वारा खातेदार रामदेवा की विरासत का नामांतरकण संख्या 93 दिनांक 7.1.2002 को श्रीमती कल्याणी पुत्री रामदेवा के नाम स्वीकार किया गया था जिसे बाद में न्यायालय में वाद लम्बित होने तथा वाद में स्थगन होने से खारिज कर दिया गया था । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ कल्याणी पुत्री रामदेवा की अपील जिला कलेक्टर दौसा ने आदेश दिनांक 26.12.2011 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की सत्यता व उत्तराधिकारी की जॉच कर संबंधित पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया गया था । अपीलांट के अधिवक्ता की मुख्य आपत्ति है कि पक्षकारान के मध्य दावा अधिघोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा विचाराधीन था लेकिन दावे के विचाराधीन रहते नामांतरकरण की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं था ।

अत हम समझते हैं कि नामांतरकरण की कार्यवाही भू–राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में पृविष्टियों की एक मात्र प्रकिया है जिससे पक्षकारान के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता । यदि पक्षकारान के मध्य अधिकारों के निर्धारण हेतु कोई वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तो उसके निर्णय अनुसार नामांतरकरण की कार्यवाही होगी। यह प्रकरण मृतक रामदेवा की विरासत के नामांतरकरण का है और रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 कल्याणी मृतक रामदेवा की पुत्री होने के आधार पर नामांतरकरण अपने नाम चाहती है जिस पर जिला कलेक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 26.12.2011 द्वारा कल्याणी की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की सत्यता व उत्तराधिकारी की जॉच कर संबंधित पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया गया था । अतः प्रकरण में तहसीलदार के स्तर पर विधिवत जॉच की जाकर

एवं उभय पक्षकारान की सुनवाई की जाकर मृतक रामदेवा की विरासत के संबंध में निर्णय पारित होना है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 26.12.2011 में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं एवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 26.12.2011 यथावत रखा जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अति. सम्भागीय आयुक्त,

जयपुर